न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

दायरा दिनांक 17.06.2025

प्र0सं0 06 / 25

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

हरिसिंह शिवहरे पुत्र रामस्वरूप शिवहरे जाति कलाल निवासी 41 खेडापति कालोनी किला रोड साईं बाबा मन्दिर के पास, ग्वालियर म0प्र0 जरिये मुख्तार राकेश शिवहरे पुत्र ग्यारसीराम शिवहरे जाति कलाल निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

प्रार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

आदेश दिनांक 19.06.2025

उपस्थित

प्रार्थी की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मुंडियर पटवार हल्का मुंडियर तहसील शाहाबाद के खाता संख्या 136 में ख0नं0 22/1 की 5.00 बीघा तथा खाता संख्या 278 में ख0नं0 14 की 0.15 बीघा, ख0नं0 40 की 2.02 बीघा, ख0नं0 42 की 3.19 बीघा, ख0नं0 44 की 2.06 बीघा, ख0नं0 45 की 1.11 बीघा, ख0नं0 630/22 की 2.08 बीघा किता 6 कुल 13.01 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की स्थित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.05.25 को जरिये रजिसटर्ड विक्रयपत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त कर प्रार्थी बहेसियत स्वामी काबिज काश्त है। प्रार्थी की उक्त भूमि का सीमा चिन्ह आदि नहीं होने से आसपास के काश्तकारों से विवाद रहने की संभावना रहती है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन कर स्थायी सीमा चिन्ह पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी बावत यह प्रार्थनापत्र पेश है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत फोटोप्रति विक्रयपत्र दिनांक 22.05.2025 के अनुसार उक्त वर्णित विवादित आराजीयात को प्रार्थी ने क्रय कर लिया है। माननीय जिला कलक्टर महोदय बारां के आदेश से राजस्व रिकार्ड आनलाइन प्रक्रियाधीन होने के कारण नामान्तरकरण पर रोक लगी होने से उक्त विक्रयपत्रों का नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो पाया है। इसके अलावा संलग्न नकल खसरा गिरदावरी से भूमि पर विक्रेताओं का कब्जा काश्त होना भी प्रमाणित है। इस आधार पर पत्थरगढी के आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को आदेशित किया जाता है कि वे मौके पर प्रार्थी की उक्त वर्णित विवादित आराजीयात का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करावें। आदेश [illegible] लिखाया जाकर आज दिनांक 19.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 18:11:31 IST
Reason: SelfAttested

19.06.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद